(ग) और (घ) : आयकर प्राधिकारियों ने 1 अप्रैल, 1977 से 28 फरवरी, 1978 की अवधि के दौरान 275 लाख रु० से अधिक के अनुमानित मूल्य की परिसम्पत्तियां पकडी। जब कभी भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अन्तर्गत परिसम्पत्तियां पकड़ी जाती है तो सबसे पहले, माल पकडे जाने के 90 दिनों के भीतर, धारा 132(5) के अन्तर्गत, पकड़ी गई ऐसी परिसम्पत्तियो को रोक रखने के लिए आदेश जारी किया जाता है जो प्रकट नही की गई आय पर सरसरी तौर पर आकी गई कर की देनदारी (जिसमे ब्याज तथा दण्ड शामिल है) तथा विभिन्न प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत वर्तमान देनदारियो को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती हों। उसके बाद नियमित कर निर्धारण कार्यवाही तथा जहां कहीं आवश्यक हो, दंड सबधी कार्यवाही आरम्भ की जाती है। धारा 132(5) के अन्तगत रोक रखी गई परिसम्पत्तियों के बारे मे अधिनियम की धारा 132ख में निर्धारित तरीके से कार्यवाही की जाती है।

सीमा शुल्क प्राधिकारियो द्वारा 1 अप्रैल, 1977 से 28 फरवरी 1978, तक पकड़े गये माल का कुल मूल्य 29 96 करोड़ रु० है : पकड़े गये जिस माल के बारे में कोई विवाद नही उठाया जाता है उसे जब्त कर लिया जाता है और जहां कही आवश्यक होता है तस्करी मे अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियो के विरुद्ध दण्डात्मक की कार्यवाही भी चालू की जाती है।

स्वर्ण नियंत्रण प्राधिकारियो द्वारा 1 अप्रैल, 1977 से 28 फरवरी, 1978 तक की अवधि के दौरान पकड़े गये माल का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सदन-पटल पर रख दिया जायेगा।

Irregularities in United Commercial Bank

6102. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI:
SHRI MADHAV PRASAD TRIPATHI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) is the Government aware that some appointments have recently been made to allure certain Government officials on the Board of the United Commercial Bank on deputation in the Bank;

(b) if so, is it a fact that a niece of one Government director of the Bank has been appointed apprentice by creating a special post;

(c) is it also a fact that Reserve Bank officer on deputation in the United Commercial Bank has been appointed Chief Vigilance Officer and Chief Inspector in continuation of the deputation on his retirement from the Reserve Bank on a much higher salary and perks, and

(d) if so, the action proposed to be taken by the Government thereon?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M. PATEL): (a) and (b) It is presumed that the reference is to the appointment of certain apprentices in the United Commercial Bank. According to the bank one Kum Anjana Guha was appointed as an apprentice on 2nd January, 1976 for a period of two years on a monthly stipend of Rs 250 without any obligation on the bank to absorb her in its service. The appointment was made on the recommendation of Clarion Advertising Services Ltd, the bank's publicity agents. She left the bank on 31st December, 1977 on completion of the apprenticeship. It is reported that Kum. Anjana Guha is a distant relation (daughter of sister-in-law) of Shri D. N. Ghosh who was once a Government Director on the Bank's Board. Shri Ghosh ceas-

ed to be a Director of the bank even prior to Kum Guha's appointment as an apprentice in the bank on 2nd January, 1976

The bank similarly appointed two more apprentices during the period

(c) The Reserve Bank has reported that none of the officers of Reserve Bank of India (Department of Banking Operations and Development) either in service or retired, is at present on deputation with the United Commercial Bank Shri D P Galwankar and Shri A K Basu, two senior officers of the Department of Banking Operations and Development were placed on deputation with the bank effective from 18th July 1970 and 22nd May 1972 respectively and were permitted by the Reserve Bank to continue in that bank on a contract basis for a period of two years after their retirement in July 1973 and October 1972 respectively While Shri Galwankar was designated by the bank as Officer on Special Duty Shri Basu was designated as Chief Inspector Neither of these two officers is at present, in the service of that bank

(d) In view of the foregoing no action in the matter is called for

बचत तथा उपहार योजनाओं का बन्द किया जाना

6103 **श्री दयाराम शाक्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा बचत तथा उपहार योजनायें बन्द कर दिये जाने के फलस्वरूप इन योजनाओं में काम कर रहे लाखो लोग बेरोजगार हो जायेंगे तथा क्या समाज के कमजोर वर्गों को राष्ट्रीयकृत बैंको की तुलना मे कम ब्याज की आसान शर्तों पर ऋण प्राप्त करने मे बहुत कठिनाइयो का सामना करना पडेगा ,

(ख) क्या यह भी सच है कि इन योजनाओ के अधीन उनकी पूजी राष्ट्रीयकृत बैंको मे ही जमा होती है जिससे सरकार को लाभ होता है , और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इन योजनाओ को बन्द करने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्री जेम्स एस० राज की अध्यक्षता मे गठित गैर-बैंकिंग कम्पनियो विधेयक अध्ययन दल ने, औरोके साथ साथ बचत और इनामी योजनाओ का भी अध्ययन किया था। इस दल का मत था कि इन योजनाओ से कोई सामाजिक प्रयोजन पूरा नही होता, ये सार्वजनिक हित के लिए घातक है और ये सरकार की मौद्रिक और वित्तीय नीति के कुशल सचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अत: इस दल ने सिफारिश की कि इस प्रकार की योजनाओ पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिये। सरकार को इस प्रकार की योजनाओ के संचालको के भ्रष्ट तरीकों के बारे मे अनेक शिकायतें भी मिली हैं।

सरकार माननीय सदस्य की इस आशका से सहमत नही है कि इन योजनाओ पर प्रतिबंध लगाने से रोजगार की स्थिति, बैंको मे